अांतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

**बिहार सरकार**
**ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-521/2018 - 217 /पटना, दिनांक– 31.01.2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोहतास जिला के Nokha प्रखंड के **Package No. BR-28R-163, Sirikhinda sisrita road to chanki** पथ जिसकी पुनरीक्षित लम्बाई **2.349** कि०मी० तथा पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू0 **127.94 लाख (एक करोड़ सत्ताईस लाख चौरानबे हजार रूपये)** मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश पत्रांक सं0–490 अनु0, दिनांक 27.02.2009 के द्वारा मूल प्रशासनिक अनुमोदन का कुल 1 अदद योजना के प्राक्कलन को पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 के आलोक में किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य योजना से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार प्रदत्त लम्बाई 2.349 कि0मी0 के लिए निर्माण राशि रू0 64.649 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 5.38 लाख, कुल रू0 70.029 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए 1 अदद योजना, पुनरीक्षित लम्बाई **2.349** कि0मी0 के पथ निर्माण कार्य हेतु रू0 116.367 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 11.573 लाख कुल राशि रू0 **127.94 लाख (एक करोड़ सत्ताईस लाख चौरानबे हजार रूपये)** मात्र की राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है–

2\. (क) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3\. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4\. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5\. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये Pro-rata के आधार पर स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

6\. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि रू0 64.649 लाख (निर्माण कार्य हेतु) के विरूद्ध निर्माण कार्य रू0 30.50 लाख व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। अतः रू0 34.149 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा तथा कुल रू0 11.573 लाख की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग का रू0 900 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 540.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 400.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है। कुल 3365.303 करोड़ वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

24/1/2020

7. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

8. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम0–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. विभागीय संकल्प 4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तद्सुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

15. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 521/2018 के पृ0–....4..../टि0 पर दिनांक–....22.1.2020.... को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 4–45/94–301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168,दिनांक– 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)–PMGSY–521/2018 के पृ0–..... प/पृ-20एवं 4/टि0 पर दिनांक–....20.1.2020.... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24/1/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-521/2018 - 217 /पटना, दिनांक– 31.01.2020

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-521/2018 - 217 /पटना, दिनांक– 31.01.2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य प्रमंडल, सासाराम–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/2020

अपर सचिव